समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई0सी0डी0एस0

–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन का विज्ञापन

(विज्ञापन संख्या – 01/2015)

एतद् द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2862, दिनांक–04.11.2011 द्वारा निर्गत ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की मार्गदर्शिका–2011 एवं इसमें अब तक सभी संशोधित प्रावधानों के अतिरिक्त वैसे सभी संशोधन जो सेविका/सहायिका के चयन की मार्गदर्शिका–2011 से संबंधित हों अथवा सेविका/सहायिका के चयन से संबंधित हों के आलोक में जिला अंतर्गत सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों में सेविका/सहायिका की निम्नलिखित रिक्तियों के विरूद्ध चयन हेतु इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

सेविका/सहायिका के रिक्त पद एवं अहर्त्ता आदि का विस्तृत विवरण/आवेदन पत्र एवं अनुलग्नक–'क' तथा 'ख' का प्रारूप से संबंधित विस्तृत जानकारी बाल विकास परियोजना कार्यालय/प्रखण्ड विकास कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय, बेतिया के सूचना पट्ट एवं जिला पश्चिम चम्पारण के सरकारी वेबसाइट www.westchamparan.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। मेधा सूची का प्रकाशन एवं उसके विरूद्ध दर्ज आपत्ति का निराकरण संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, द्वारा किया जायेगा। आवेदन पत्र ज़िला पश्चिम चम्पारण की उपरोक्त सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन से संबंधित कार्यक्रम निम्न इस प्रकार से है :–

आवेदन पत्र जमा करने की तिथि एवं समय (संबंधित बा0वि0परि0कार्या0 अथवा जि0प्रो0कार्य0)	**दिनांक 16.02.2015 से दिनांक 23.02.2015 तक (पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)**
औपबंधित मेधा सूची प्रकाशन की तिथि	दिनांक 24.02.2015 से दिनांक 26.02.2015 तक। (तीन दिन)
प्रकाशित मेधा सूची के विरूद्ध आपत्ति दर्ज करने की तिथि	दिनांक 27.02.2015 से दिनांक 02.03.2015 तक। (तीन दिन)
आपत्ति निराकरण की अवधि	दिनांक 03.03.2015 से दिनांक 07.03.2015 तक। (तीन दिन)
अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन	**दिनांक 09.03.2015 को।**
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा वार्ड सदस्य/वार्ड पार्षद से मिल कर लाभार्थियों की आम सभा की तिथि एवं स्थल निर्धारित कराना	दिनांक 10.03.2015 से दिनांक 16.03.2015 तक। (एक सप्ताह)
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों की आम सभा की तिथि सूचना आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, बाल विकास परियोजना कार्यालय में लगाना	दिनांक 18.03.2015 से दिनांक 24.03.2015 तक। (एक सप्ताह)
सभी चयन पूर्ण करना।	***दिनांक 15.04.2015 तक।***

आवेदन पत्र A4 साईज कागज पर विहित प्रपत्र में ही आवेदक द्वारा सुस्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन–पत्र अथवा निर्धारित अंतिम तिथि/समय के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। परियोजनावार सेविका/सहायिका की रिक्ति निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	परियोजना का नाम	सेविका रिक्ति सामान्य केन्द्र	सेविका रिक्ति मिनी केन्द्र	सहायिका रिक्ति।
1	2	3	4	5
1	मझौलिया	77	47	82

2	नौतन	12	00	09
3	चनपटिया	21	21	19
4	योगापट्टी	01	00	04
5	नरकटियागंज	10	00	06
6	गौनहा	41	15	55
7	मैनाटांड़	13	15	12
8	रामनगर	13	06	11
9	बगहा 1	25	15	25
10	बगहा 2	30	38	35
11	ठकराहां	02	10	9
12	भितहां	02	07	01
13	मधुबनी–पिपरासी	10	13	08
14	कुल योग	257	187	276

(नोट :– रिक्ति के संबंध में सक्षम न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जायेगा। अर्थात, पूर्व में यदि वर्णित केन्द्र की चयनमुक्त सेविका अथवा सहायिका को पुनः पद पर बरकार रखने का आदेश सक्षम न्यायालय से प्राप्त होता है तो, इस विज्ञापन के माध्यम से चयनित होने वाली अभ्यर्थी पर यह निर्णय बाध्यकारी होगा।)

(क) शर्त्तः–

1 आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक सभी प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। संलग्न स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतू आयोजित आम सभा में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) ऑगनबाड़ी सेविका चयन हेतू अर्हता :–

2 शैक्षणिक योग्यता :–ऑगनबाड़ी सेविका के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उतीर्ण होगी। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उन्हीं स्थिति में मान्यता दी जायेगी, जबकि उसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतू मान्यता दी गई हो ।

3 चयन प्रक्रिया में पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग की प्राथमिकता रहेगी। पूर्व से कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्र, जहां सेविका/सहायिका के मृत्यु/त्याग पत्र/चयनमुक्ति अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त हो गया है, के लिए पोषक क्षेत्र पूर्ववत रहेगा।

4 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

5 उम्र :– 01 जनवरी 2015 को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकता उम्र सीमा 40 वर्ष होगी।

6 सेविका चयन हेतू संबंधित केन्द्र के पोषक क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिये संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र साक्ष्य माना जायेगा।

7 ऑगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उम्मीदवार उपलब्ध न रहने की स्थिति में उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम टोला/वार्ड परिधि में जहां निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी उपलब्ध हो से चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

8 ऑगनबाड़ी सेविका उस गांव की बहु होनी चाहिए। अविवाहित महिला का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जायेगा। यदि उस टोले/गांव की बेटी स्थायी रूप से मां के यहां निवास करती है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा चुनाव आयोग का फोटो प्रमाण पत्र तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र (जो छः माह पूर्व से पहले का निर्गत न हो) उपलब्ध है तो उनके चयन पर भी विचार किया जाएगा।

9 पश्चिम चम्पारण जिला के जनप्रतिनिधियों की पत्नी/बहु/रिश्तेदार इस पद के लिये अयोग्य होगीं। {रिश्तेदार से अर्थ है – माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी) तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी और बहु}। जनप्रतिनिधि की पुत्री एवं बहन संबंधित प्रखंड में सेविका/सहायिका पद पर चयन हेतु अयोग्य होंगी।

10 जनप्रतिनिधि जैसे (मुखिया, वार्ड सदस्य, सदस्य–पंचायत समिति, पंच, सरपंच, प्रमुख, उपप्रमुख, वार्ड कमिश्नर इत्यादि) सेविका/सहायिका पद के लिये अयोग्य होंगी।

11 परन्तु जनप्रतिनिधि स्वयं अथवा उनके संबंधी आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका पद पर चयन हेतु आवेदन देते हैं तो जनप्रतिनिधि के पद से उनका त्याग पत्र कब से मान्य होगा के संबंध में निम्न प्रावधान है – अभ्यर्थी के संबंधी अथवा स्वयं अभ्यर्थी का जन प्रतिनिधि के पद से आम सभा में लिए गये अंतिम निर्णय के उपरान्त 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना बाध्य होगा। इसके पश्चात् ही चयन पत्र निर्गत किया जायेगा। यदि 15 दिनों के बाद भी स्वीकृत त्याग पत्र प्राप्त नहीं होता है तो मेधा सूची पैनल से दूसरे नम्बर के योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

12 संबंधित पंचायत/प्रखंड/अंचल/अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी के रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। {रिश्तेदार से अर्थ है – माँ, पत्नी, बहु, ननद, भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन}।

13 संविदा अथवा मानदेय आधारित कर्मचारी या पदाधिकारी जिनकी मासिक आय रू0 6000/– (छः हजार रूपये) या उससे कम है, उनके उपर यह कंडिका लागू नहीं होती है।

14 संबंधित प्रखंड के विभिन्न सरकारी सामग्रियों की विक्रेताओं (जैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की माँ, पत्नी, बहु, रिश्तेदार इस पद के लिये अयोग्य होंगे। {रिश्तेदार का अर्थ है– माँ, पत्नी, बहू, ननद, भाभी (अर्थात् बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन}।

15 विकलांग उम्मीदवारों के लिये विकलांगता की स्थिति अधिकतम 40 प्रतिशत तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए तथा आंगनबाड़ी केन्द्र के कार्यों के लिए सक्षम होना चाहिये। सक्षम प्राधिकार से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ग) सेविका/सहायिका पदों के लिये अयोग्यताएं :–

16 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दंडित अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा बंधपत्र दाखिल करने का आदेश प्राप्त उम्मीदवार अयोग्य होंगे।

17 किसी सक्षम न्यायालय से दिवालिया घोषित अभ्यर्थी इस पद के लिए अयोग्य होंगी।

18 सेविका एवं सहायिका आपस में किसी प्रकार से संबंधित/रिश्तेदार नहीं होंगी, यथा सास–बहु/ननद–भाभी/देवरानी–जेठानी/माँ–बेटी/बहन–बहन/बहन–भतीजी/सगी–गोतनी आदि।

19 विभिन्न अनुशासनिक/जांच कारणों से चयनमुक्त की गई सेविका/सहायिका पुनः चयन के लिए अयोग्य होगी।

20 ऐसी महिलाएं किसी सरकारी/अर्धसरकारी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत हैं, वे सेविका के पद पर चयन के लिये अयोग्य होगीं।

21 आशा कार्यकर्त्ता सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं है, अतः आशा कार्यकर्त्ता का चयन सेविका/सहायिका पद पर किया जायेगा। चयन होने के पश्चात् 15 दिनों के अन्दर अपना शपथ पत्र में त्याग पत्र उपलब्ध करायेगी।

22 आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका मानदेय आधारित कार्यकर्त्ता है। ये सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त किसी लाभ के पद पर नहीं है। अतः इनके रिश्तेदार का चयन सेविका/सहायिका के पद पर किया जायेगा।

(घ) सेविका के लिए मेधा सूची का निर्धारण :–

23 मेधा सूची के निर्धारण में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार रखा जायेगा। परंतु ऐसी गणना से समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जायेगा।

24 इन्टर उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के लिये 7 (सात) बोनस अंक दिये जाएगें तथा स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7 (सात) अतिरिक्त बोनस अंक दिये जाएगें।

25 इसके अलावा सेविका के मेधा सूची के निर्धारण में निम्नांकित अतिरिक्त बोनस अंक दिये जाएगें।

(i) विधवा/परित्यकता	–	7 अंक
(ii) विकलांग	–	5 अंक
(iii) सहायिका	–	5 अंक

26 उम्मीदवारों की एक मेधा सूची मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार सर्वप्रथम विहित प्रपत्र मे तैयार की जायेगी। इसके बाद कंडिका 25 एवं 26 के अनुसार प्राप्त कुल बोनस अंकों को प्राप्त प्रदत्त अंक मे जोड़कर सम्पूर्ण मेधा अंक निकालकर मेधा सूची विहित प्रपत्र में तैयार की जाएगी एवं उसमें से नियमानुसार चयन प्रावधानों के अनुसार सर्वाधिक मेधा अंक वाले उम्मीदवार का चयन किया जायेगा।

27 मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक की स्थिति में प्राथमिकता निम्न क्रम में दी जायेगी :—

(i) विधवा
(ii) परित्यकता
(iii) विकलांग
(iv) सहायिका

"टिप्पणी —— विधवा उम्मीदवार (ससुराल/मायका में रह रही है) को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुर्नविवाह नहीं करने संबंधी मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'क' में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यकता उम्मीदवार को भी अपने परित्यक्ता होने का मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'ख' में जमा करना होगा। अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना वांछनीय होगा।"

28 मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से तीन दिन के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।

(ड़) ऑगनबाड़ी सहायिका चयन हेतू अर्हता :—

29 शैक्षणिक योग्यता :— ऑगनबाड़ी सहायिका के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सप्तम पास होगी।

30 अन्य सभी योग्यताएँ उपर के कंडिका (ख) एवं (ग) में वर्णित ऑगनबाड़ी सेविका चयन हेतू अर्हता के समरूप होंगी।

(च) सहायिका के लिये मेधा निर्धारण :—

1 आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूजित जनजाति के उम्मीदवार का ही चयन किया जाएगा।

2 अनुसूचित जाति/जनजाति की एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर निम्न रूप से मेधा निर्धारण किया जायेगा :—

2.1 सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और उसका चयन किया जाएगा।

2.2 कंडिका 2 (2.1) की स्थिति में अगर दो या उससे अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएं एक समान हों तथा कोई भी मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास न हो तब उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिकता देते हुये चयन किया जाएगा :—

1. विधवा
2. परित्यकता
3. विकलांग
4. उम्र में सबसे अधिक

टिप्पणी :— कंडिका 27 की टिप्पणी की शर्तें यहां लागू होंगीं।

2.3 कंडिका 2 (2.1) की स्थिति में अगर दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएं एक समान हों तथा ये मैट्रिक (अथवा उसके समकक्ष) या उससे उपर की (यथा इंटरमिडिएट, स्नातक इत्यादि) योग्यताएँ हो तब उम्मीदवारों की एक मेधा सूची बनायी जायेगी। इस मेधा सूची में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को आधार रखा जाएगा। परंतु ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जायेगा। इस प्रकार उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में उम्मीदवारों को निम्न क्रम मे प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा —

1. विधवा
2. परित्यकता

3. विकलांग

4. उम्र में सबसे अधिक

टिप्पणी :– कंडिका 27 की टिप्पणी की शर्तें यहां लागू रहेंगी।

2.4 मेधा निर्धारण से संबंध में सभी प्रकार की आपतियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से तीन दिन के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।

❖ नोट :– विज्ञापन प्रकाशन में अत्यंत ही सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी विरोधाभाष की स्थिति में मूल नियमावली (अपने संशोधन के साथ यदि कोई हो तो) में वर्णित निदेश ही मान्य होगें।

ह0/–
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक :–....74......../आई0सी0डी0एस0 बेतिया/दिनांक :–.....05../02/2015।

प्रतिलिपि :– सभी महिला पर्यवेक्षिकाएं, जिला पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि वे विज्ञापन का व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेगीं।

प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि वे विज्ञापन का व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेगीं। साथ हीं विज्ञापन की प्रति अपने स्तर से सभी संबंधित वार्ड सदस्य/वार्ड पार्षद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगीं। इसके अतिरिक्त सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निर्धारित प्रपत्र में मेधा सूची की एक प्रति (औपबंधित एवं अंतिम) अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगीं।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। विज्ञापन की एक प्रति प्रखण्ड विकास कार्यालय के सूचना पट्ट पर आवश्यक रूप से चस्पित करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी, जिला पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। विज्ञापन की एक प्रति अंचल कार्यालय के सूचना पट्ट पर आवश्यक रूप से चस्पित करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला पश्चिम चम्पारण, बेतिया को विज्ञापन की एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अतिरिक्त प्रति को अनुमण्डल कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पित करना चाहेगें।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

3/2/15

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।